बिहार सरकार
मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

संख्या–सं0का01/वि0मं0(सदस्यों)4023/2006–930/ दिनांक– 23 सितम्बर, 2006.

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :–

।। नि य मा व ली ।।

1. (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली पहली अक्टूबर, 2006 से प्रवृत्त होगी।

2. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो :–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006.

(ख) ''सदन'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद्;

(ग) ''दिन'' से अभिप्रेत है कलेंडर वर्ष का मध्य रात्रि से चौबीस घंटे का दिन;

(घ) ''निवास स्थान'' से अभिप्रेत है वह स्थान जो लिखित रूप में सूचित किया गया हो;

टिप्पणी :– निवास स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नियमावली के आरंभ की तिथि से एक माह के भीतर सचिव को सूचित किया जाएगा।

(ङ.) ''सचिव'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के सचिव तथा इसमें विधान सभा या विधान परिषद् के सचिव द्वारा सशक्त किये गये, यथास्थिति, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अवर सचिव सम्मिलित हैं,

(च) ''सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से संबंधित कार्य'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई कार्य जो सामान्यतः सदन के कृत्यों से उद्‌भूत हो और इसमें सदन या इसके पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित, मनोनीत या नियुक्त विभिन्न समितियों, आयोगों, बोर्डों या अध्ययन दलों के कार्य अथवा किसी ऐसी समिति या सेमिनार आदि में, सदन के आदेशों और विनियमों द्वारा समिति के सदस्यों को सौंपे गये अन्य कार्य शामिल हैं, किन्तु इसमें सरकार अथवा स्वाशासी निगमित निकायों द्वारा गठित, निमित्त या नियुक्त समितियों, आयोगों, बोर्डों और अध्ययन दलों में भाग लेना शामिल नहीं है।

(छ) ''माह'' से अभिप्रेत है कैलेंडर वर्ष का माह;

(ज) ''प्राधिकृत चिकित्सक'' से अभिप्रेत है राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक/विधायक अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन)/ राज्य में स्थित केन्द्रीय, राजकीय अथवा निबंधित चिकित्सा सस्थान/राज्य सम्पोषित चिकित्सा सस्थान के प्रभारी पदाधिकारी;

(झ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

(ञ) ''मरीज'' से अभिप्रेत है, सदस्य अथवा उसके परिवार का वह सदस्य जो बीमार हो;

(ट) ''परिवार'' से तात्पर्य है, सदस्य की पत्नी/पति, आश्रित अवयस्क पुत्र/पुत्री अथवा ऐसे माता/पिता जो पूर्णतः सदस्य पर आश्रित हों;

(ठ) ''उपचार'' से अभिप्रेत है, राज्य में स्थित केन्द्रीय/राजकीय/निबंधित अस्पतालों/नर्सिग होमों में अथवा सरकारी चिकित्सक द्वारा अनुशंसित देश के किसी भी मान्यताप्राप्त अस्पताल/ नर्सिंग होम में चिकित्सीय एवं शल्य क्रिया द्वारा उपचार;

(ड) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अभिप्रेत होंगे जो नियमावली में इसके प्रति समनुदेशित किये गये हो।

3. सदस्यों का वेतन। –

प्रत्येक सदस्य,

(क) भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में विधिवत अधिसूचित किये जाने की तिथि से;

(ख) राज्यपाल द्वारा जिस जगह के लिए मनोनयन किया जाना है, उस जगह के लिए उनके द्वारा मनोनयन की तिथि से या यदि मनोनयन, पदरिक्त होने के पूर्व किया जाता है, तो पद रिक्त के होने की तिथि से;

8000/– रू0 प्रतिमाह की दर से वेतन एवं अनुमान्य भत्ते पाने के हकदार होंगेः

परन्तु, जहां कोई व्यक्ति, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी निगम, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और उस सरकार, निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या व्यक्ति से वेतन प्राप्त करता हो और

(i) यदि वह वेतन की राशि इस नियमावली के अधीन प्राप्त होने वाली वेतन की राशि के समतुल्य या उससे अधिक हो तो वह किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

(ii) यदि वह वेतन की राशि इस नियम के अधीन प्राप्त होनेवाली राशि से न्यून हो तो वह इस नियमावली के अधीन उसी राशि का हकदार होगा जो कम हो।

(ग) उत्तरवर्ती नियमों के उपबंधों के अध्यधीन किसी सदस्य के किसी माह का वेतन उत्तरवर्ती माह के प्रथम दिन को देय होगाः

परन्तु किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में, उसका वेतन उसी दिन तक देय होगा जिस दिन वह स्थान रिक्त होता हो तथा वेतन की निकासी उसके पश्चात किसी भी दिन की जा सकेगी।

(घ) स्थान रिक्त होने संबंधी सूचना की एक प्रति अंतिम वेतन विपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

टिप्पणी – वेतन, भत्ते इत्यादि की निकासी, भुगतान एवं लेखा संधारण की प्रक्रियायें पूर्ववत रहेंगी।

4. **क्षेत्रीय भत्ता। –** बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रतिमाह रू0 10000/– क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. **मोटर गाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा। –** बिहार विधान मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटर गाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि या अधिकतम छह लाख, रुपये जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी :–

(i) अग्रिम स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी, मंजूरी पदाधिकारी होंगे। अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवश्यक आदेश वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे और स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण एवं वसूली, यथास्थिति, विधान सभा/परिषद् सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

(ii) मोटर गाड़ी अग्रिम की राशि (चेक/बैंक ड्राफ्ट) गाड़ी की कम्पनी/डीलर को सीधे भुगतेय होगी।

(iii) इस नियामावली के अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, वैसे विधान मण्डल के सदस्य भी मोटर गाड़ी क्रय हेतु पुनः अग्रिम प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो पूर्व में मोटर गाड़ी क्रय हेतु ली गयी अग्रिम की पूर्ण राशि, ब्याज सहित, वापस कर चुके हों, अथवा शेष अग्रिम की राशि सूद सहित यदि एक मुश्त लौटा देतें हैं। विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जो पुनः अग्रिम की मांग करते हों, उन्हें, यथास्थिति, सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् से प्राप्त इस आशय का प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा कि पूर्व में ली गयी अग्रिम की राशि सूद सहित वापस कर दी गयी हैः

परन्तु, सदस्यों को एक कार्यकाल में सिर्फ एक बार कार–अग्रिम दिया जायेगा।

(iv) यदि मोटरगाड़ी का वास्तविक मूल्य स्वीकृत धनराशि से कम हो तो शेष धनराशि सरकार को तुरत लौटा दी जायेगी।

(v) स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व ही सदस्य को नियमावली के परिशिष्ट (क) में विहित प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत अग्रिम के आहरण के एक महीने के भीतर संबंधित सदस्य मोटरगाड़ी क्रय करके नियमावली की परिशिष्ट (ख) में विहित प्रपत्र में बंधक–पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त क्रय किये गये वाहन को बिहार राज्यपाल के नाम बंधक रखा जायेगा। अनुबंध–पत्र और बंधक–पत्र सुरक्षा तथा अभिलेख हेतु सरकार को प्रस्तुत किये जायेगें।

(vi) मोटर गाड़ी अग्रिम पर 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा।

(vii) मोटर गाड़ी अग्रिम की वसूली 60 (साठ) समान मासिक किश्तों में और यदि संबंधित सदस्य की विधान मण्डल की सदस्यता की अवधि 5 वर्षों से कम हो, तो ऐसे सदस्य की सदस्यता की आगामी अवधि के भीतर साठ से कम समान मासिक किश्तों में की जा सकेगी।

(viii) इस नियमावली के अधीन स्वीकृत अग्रिम तथा इस पर देय ब्याज की वसूली सदस्यों से उनके वेतन एवं भत्ते, यात्रा–भत्ता या किसी अन्य भत्ता या बिल से विधान सभा/विधान परिषद् के सचिव द्वारा अपेक्षित धनराशि की कटौती की जायेगी।

(ix) यदि ऋणी विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय, तो मोटरगाड़ी अग्रिम की राशि, ब्याज सहित उनकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के बाद भी उनको देय पेंशन से वसूल की जायेगी।

(x) अग्रिम की वसूली मोटरगाड़ी क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के तुरत बाद वाले माह से प्रारम्भ होगी।

(xi) सदस्य के अग्रिम की, ब्याज सहित, अवशेष सम्पूर्ण धनराशि नियत अवधि से पहले एकमुश्त जमा करने की छूट होगी।

(xii) यदि अग्रिम प्राप्त करने वाला सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाय तो भुगतेय ब्याज की दर, उसकी वसूली हेतु निर्धारित किश्तों की संख्या एवं अन्य शर्तें वही रहेंगी, जो इस नियमावली के अधीन विहित की गयी है।

(xiii) अग्रिम एवं ब्याज की वसूली का लेखा, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा रखा जायेगा। पेंशन से वसूली की स्थिति में, संबंधित जिले के कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह इस आशय का एक प्रमाण–पत्र, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को प्रेषित किया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति से संबंधित माह में अग्रिम/सूद की किश्त की वसूली कर ली गयी है और सुसंगत प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

(xiv) यदि अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के पहले ही सदस्य की मृत्यु हो जाये या वह किसी भी कारण से विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और वह पेंशन का हकदार न हो, या उसे किसी भी कारण से पेंशन नहीं प्राप्त हो या पेंशन बंद हो जाय और किसी अन्य कारण से वह अग्रिम/ब्याज की किश्तों का नियमित भुगतान नहीं कर पाये तो अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की अवशेष धनराशि, राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होगी और राज्य सरकार अवशेष राशि को सदस्य या उसके विधिक उत्तराधिकारियों से किसी भी तरह अथवा लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन लोक मांग वसूली के रूप में वसूली कर सकेगी।

(xv) 1— यदि जिस वाहन का क्रय सरकार से प्राप्त अग्रिम की सहायता से किया गया हो परन्तु अग्रिम की राशि अभी वसूलनीय हो, वैसी स्थिति में, गाड़ी को, उधार लेने वाला सदस्य, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर बेच सकता है।

2— राज्य सरकार, वैसे दृष्टांतों में जिसमें अग्रिम की पूर्ण वसूली के पूर्व ही नये वाहन के क्रय हेतु पूर्व में अग्रिम से लिया गया वाहन बेचा जाता है, ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग निम्नांकित शर्तों के अधीन, नये वाहन के क्रय हेतु करने की स्वीकृति दे सकते हैं :—

(क) बकाया अग्रिम की राशि क्रय किये जानेवाले वाहन की कीमत से ज्यादा न हो,

(ख) बकाया अग्रिम की राशि पूर्व से निर्धारित किश्तों एवं ब्याज की दर पर वसूल की जायेगी,

(ग) नये क्रय किये जानेवाले वाहन को बीमा कराकर राज्यपाल के नाम बंधक रखना होगा।

6. **स्टेशनरी की सुविधा। —** बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भारत चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के क्रम में पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय वहन करने के लिए 4000/— (चार हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से स्टेशनरी भत्ता भुगतेय होगा।

7. **निजी सहायक की सुविधा। —** प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से संसदीय कार्यों में सहायता के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन निजी सहायक/सहायकों को रख सकेगें; जिसके लिए उन्हें मात्र 10000/— (दस हजार) रुपये प्रतिमाह भुगतेय होगाः

परन्तु, यह कि एक से अधिक निजी सहायक रखने पर भी अधिकतम 10000/— रू0 प्रतिमाह ही देय होगा और यह राशि सीधे निजी सहायक/सहायको को हीं भुगतेय होगा।

(1) निजी सहायक/सहायको को रखने के बाद उन्हें, यथाशीघ्र, इसकी सूचना, यथास्थिति, सचिव, विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय को विहित प्रपत्र में देनी होगी। विहित प्रपत्र बिहार विधान सभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा विहित किया जायेगा।

(2) निजी सहायक/सहायको को प्रतिमाह रुपये 10000/– (दस हजार) की राशि, इसके लिए विपत्र प्रस्तुत करने पर, दी जायेगी। यह राशि सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का भाग नहीं होगी।

(3) सहायक को हटाकर दूसरे व्यक्ति को सहायक रखने का अधिकार सदस्य को होगा एवं उन्हें इसकी जानकारी, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को पुनः विहित प्रपत्र में देनी होगी।

(4) निजी सहायक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, बिहार सरकार अथवा बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा तथा बिहार सरकार अथवा बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् में नियुक्त होने हेतु उसका कोई दावा ग्रहणीय नहीं होगा।

8. यात्रा भत्ता। –

(क) प्रत्येक सदस्य, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उप चुनाव अथवा मनोनयन की दशा में, यथास्थिति, विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् के अन्य अधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त, रेल यात्रा की दशा में, प्रथम श्रेणी/ए0सी0 टू–टीयर के किराये के ड्योढ़ा भाड़ा तथा निजी कार से यात्रा की दशा में, प्रति किलोमीटर 10/– रुपये मील भत्ता पाने का हकदार होगा;

(ख) प्रत्येक सदस्य, यथास्थिति, विधान मंडल का संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा या विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में भाग लेने के निमित्त अपने सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहां संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् की समिति की बैठक या अन्य कार्य किया जानेवाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा और ऐसे स्थान से अपने सामान्य निवास स्थान की वापसी यात्रा के लिए केवल निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगाः–

(i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए0सी0 टू–टीयर के किराये की आधी रकम की दर से आनुषांगिक खर्च;

(ii) राज्य पथ परिवहन सेवा की बसों द्वारा की गयी हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़ा के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक खर्च;

(iii) प्राईवेट बस द्वारा की गयी यात्रा के लिए बस भाड़े की दूगुनी राशि का भुगतान;

(iv) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए 10/– प्रति किलोमीटर की दर से 'मील–भत्ता' देय होगा।

(v) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वास्तविक खर्चः

परन्तु, जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता है तथा नदी के पार जाना हो तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल–परिवहन खर्च पा सकेगाः

परन्तु सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए मील भत्ता, प्रत्येक सत्र के आरंभ में सदन की बैठक में भाग लेने के लिए और सत्रावसान के बाद अपने स्थायी निवास स्थान वापसी के लिए, सिर्फ एक बार भुगतेय होगाः

परन्तु, और कि इस रकम का भुगतान उसी अवस्था में किया जायेगा जब सदस्य के पास निजी मोटर कार हो तथा वे इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उन्होंने वास्तव में उक्त यात्रा अपनी मोटर कार से की हैः

परन्तु, और भी कि यदि कोई सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् की समिति की बैठक में भाग लेने के प्रयोजनार्थ निजी कार से यात्रा करे तो वह 10/– रू0 प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता पाने का हकदार होगा किन्तु यह समिति की बैठक की समाप्ति के तत्काल बाद की गयी यात्रा अवधि के लिए ही अनुमान्य होगा और एक माह में ऐसी सिर्फ दो यात्राएँ ही अनुमान्य होंगी। मील भत्ता उसी सदस्य को भुगतेय होगा जो इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है। ऐसे सदस्य को, जिनके पास निजी गाड़ी नहीं है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ एक माह में मात्र दो बार रेल की यात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी/ए0सी0 टू–टीयर का ड्योढ़ा रेल भाड़ा भुगतेय होगाः

परन्तु, और आगे कि राज्य के बाहर, रेल मार्ग से जुड़े स्थानों से भिन्न, किसी अन्य स्थान के लिए की गई यात्रा हेतु प्रति किलोमीटर 10/– रुपये की दर से मील भत्ता भुगतेय होगाः

परन्तु यह और आगे भी कि वैसे सदस्य को कोई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, जो साधारणतः उस स्थान से पांच किलोमीटर के भीतर रहते हों, जहां संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति की बैठक हुई हो या सदस्य के रूप में उनके कर्त्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य किया गया हो।

(ग) नियमावली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा अथवा अंशतः सड़क और अंशतः रेल द्वारा तय की जा

सकती हो उसके लिए यात्रा–भत्ता सबसे सस्ते और निकटतम मार्ग के यात्रा–भत्ता तक सीमित रहेगा चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो।

(घ) यदि अधिवेशन लगातार अवधि 21 दिनों से अधिक हो, और किसी सदस्य ने 15 दिनों तक अधिवेशन में भाग लिया हो, तो वह सरकारी खर्च पर एक बार घर लौटने के लिए अधिवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान पर जाने और अपने निवास स्थान से अधिवेशन के स्थल तक वापस आने के लिए निम्नलिखित दर से यात्रा–भत्ता पाने का हकदार होगा, वशर्तें कि उक्त यात्राएँ वस्तुतः की गई हों और सदस्य द्वारा उसी अधिवेशन में पुनः भाग लिया गया हो :–

(i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए0सी0 टू–टीयर के किराये की आधी रकम एवं आनुषांगिक चार्ज;

(ii) राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से की गई हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़े के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक चार्ज;

(iii) प्राईवेट बस द्वारा की गई यात्रा के लिए बस भाड़े की दुगूनी राशि का भुगतान और

(iv) निजी कार से की गयी यात्रा की दशा में, 10/– रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ताः

(v) जल मार्ग से की गयी यात्रा की दशा में वास्तविक खर्चः

परन्तु यह भी कि जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता हो तथा नदी के पार जाना हो, तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल–परिवहन खर्च पा सकेगाः

परन्तु, सदस्य को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है।

स्पष्टीकरण – ''अविच्छिन्न अधिवेशनमाला'' वह मानी जायेगी जिसमें किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच शनिवार और रविवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल बढ़े जिसमें कोई अधिवेशन न हुआ है।

(ङ.) यात्रा–भत्ता, यात्रा पूरी करने के बाद, भुगतेय होगा और इसके लिए सदस्य विहित प्रपत्र में दावा करेंगे जो सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सचिव ऐसे विपत्रों पर, इस बात का अपना पूरा समाधान कर लेने के बाद प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे कि सदस्य ने रेल या सड़क यात्रा में निकटतम मार्ग से लोक–हित में और सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से संबंधित किसी अधिवेशन में या किसी कार्य में भाग लेने के लिए यात्रा की है। सचिव का यह दायित्व होगा कि सदस्य द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्रों के संबंध में अपना समाधान कर लें।

9. दैनिक भत्ता। –

(1) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सदस्य हर निवास दिन या उसके किसी अंश के लिए पटना में प्रतिदिन 500/– रू0 की दर से एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के अन्दर अधिकतम बीस दिनों के लिए प्रतिदिन 500/– रू0 तथा राज्य के बाहर, अधिकतम 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 1000/– रू0 दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगाः

परन्तु, बैठक में भाग लेने हेतु की गयी यात्रा की अवधि एवं बैठक में भाग लेने के पश्चात् वापस लौटकर आने के लिए की गयी यात्रा की अवधि निवास दिन के रूप में जोड़ी जायेगी।

(क) विधान सभा/विधान परिषद् के अधिवेशन में या संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ।

स्पष्टीकरण – इस निवास दिन में विधान सभा या विधान परिषद् का अधिवेशन या संयुक्त अधिवेशन प्रारंभ होने के पूर्व तथा समाप्त होने के बाद का अधिक से अधिक एक दिन के निवास की अवधि भी शामिल है :

परन्तु इसके लिए सदस्यों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन दिनों उस स्थान पर उपस्थित थें जहां ऐसे अधिवेशन हुए होंः

परन्तु और कि यदि इस नियम के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ एक ही अधिवेशन में नौ या उससे कम दिन का अन्तराल पड़ जाय जिसके द्वारा कोई अधिवेशन न हो, तो सदस्य ऐसे अधिवेशन के लिए विहित दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होंगे, वशर्ते कि उक्त अन्तराल के पहले के अंतिम दिन तक अधिवेशन में तथा बाद वाले अधिवेशन में भाग लिया हो।

स्पष्टीकरण – (i) किसी तिथि को बैठक की समाप्ति पर सभास्थल पर यदि कोई सदस्य आये किन्तु सदन की बैठक में भाग नहीं ले सके तो उसका उस दिन सभा–स्थल पर ठहरना सदन की बैठक में भाग लेने के लिए आवास नहीं माना जाएग जबतक कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति, द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय।

(ii) "अविच्छिन्न अधिवेशनमाला" वह मानी जायेगी जिसके किन्ही दो अधिवेशनों के बीच शनिवार और रविवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल पड़े जिसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ हो।

(ख) विधान मंडल की समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ।

राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को सरकार के संबंधित विभाग के द्वारा गाड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से संबंधित अन्य कार्यों में भाग लेने के प्रयोजनार्थ।

(2) यदि कोई सदस्य इस नियम 9 के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अधिवेशन के स्थान पर बीमार पड़ जाय और अधिवेशन में भाग लेने में असमर्थ हो जाय तो वह बीमारी की अवधि के लिए, जो एक वित्तीय वर्ष में (1 अप्रील से अगले वर्ष 31 मार्च तक) 21 दिनों से अधिक न होगी, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा वशर्ते कि वह, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के पीठासीन पदाधिकारी से उनके समाधान के अनुरूप अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें:

परन्तु यदि कोई सदस्य इस नियम 8 खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अस्पताल में अन्तर्वासी रोगी के रूप में पूरी अवधि के लिए, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष संतोषप्रद चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

10. **रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। –** प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यो के सम्पादन हेतु उन्हें एक सहयात्री के साथ प्रथम ए0सी0, द्वितीय ए0सी0, तृतीय ए0सी0 श्रेणी में भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्राओं के लिए, प्रतिवर्ष अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये मूल्य का रेलवे कूपन दिये जायेंगे। सदस्य इस कुल 1.50 लाख रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए निजी परिवार के सदस्यों के साथ अधिकतम 75000/– रुपये के हवाई यात्रा के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण :– "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि होगी।

11. **सदस्यों को आवास की सुविधा। –** प्रत्येक सदस्य को, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से, या उसके कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, पटना में ऐसी रियायती दर एवं अन्य शर्तों के अधीन मकान किराये का भुगतान करने पर, आवास उपलब्ध किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार का भवन निर्माण एवं आवास विभाग, यथास्थिति, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद् के सभापति की सहमति से समय–समय पर, यथास्थिति, नियमों द्वारा अवधारित एवं विहित करे।

12. **चिकित्सा की सुविधा। –**

(1) बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से या उनके कार्यकाल का आरम्भ होने की तिथि से, राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के समान चिकित्सा सुविधायें अनुमान्य होंगी।

(2) बिहार विधान मण्डल के ऐसे सदस्यों की, गंभीर बीमारियों यथा– गुर्दा रोग, हृदय रोग, कैंसर, लकवा, रेटिना डीटेचमेंट, गुर्दा प्रत्यारोपन तथा एड्स या बड़ी दुर्घटना की स्थिति में, चिकित्सा पर होनेवाले व्यय का वहन राज्य सरकार करेगी:

परन्तु, बीमारी की चिकित्सा की अनुशंसा अनिवार्य होगी और सदस्य के अनुरोध पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा पर होनेवाले अनुमानित व्यय का 75 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में दी जायेगी, शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान, चिकित्सा पर हुये व्यय का व्योरा समर्पित करने पर किया जायेगा तथा सदस्य को सिर्फ एक सहयोगी का यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(3) विधान मण्डल के किसी सदस्य एवं उनके परिवार के किसी सदस्य के वाह्य चिकित्सा (ओ0पी0डी0) एवं अर्न्तवासी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवधारित नियमावली की शर्तों के अधीन की जायेगी।

13. **विदेश यात्रा की सुविधायें। –** सदस्य लोक कार्य से विदेश जाते हैं, तो उन्हें संसद सदस्य के समतुल्य विमान भाड़ा, दैनिक भत्ता आदि की सुविधायें अनुमान्य होंगी:

परन्तु, सदस्य राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही विदेश यात्रा पर जा सकेगें।

14. **सदस्यों को टेलीफोन की सुविधा। –** प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की तिथि या उनके कार्यकाल की तिथि से, उनके पटना स्थित आवास पर एवं निर्वाचन क्षेत्र या सामान्य निवास पर एक–एक टेलीफोन की सुविधा अनुमान्य होगी। यह दूरभाष, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् के नाम से लगाया जायेगा तथा इसे पटना स्थित आवास के टेलीफोन के द्वय मासिक विपत्र एवं सेवा शुल्क का भुगतान, यथास्थिति विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

(क) निर्वाचन क्षेत्र या निवास स्थान पर सदस्य द्वारा स्थापित टेलीफोन के विपत्र का भुगतान सदस्य स्वयं करेंगे। टेलीफोन विपत्र भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा टेलीफोन के स्थानीय कॉल शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति, यथा विहित स्थानीय कॉल सीमा के अधीन रहते हुए, सदस्य को की जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र/सामान्य निवास स्थान पर अधिष्ठापित टेलीफोन का मासिक/द्वैमासिक रेन्टल राशि की भी प्रतिपूर्ति की जायेगी किन्तु अधिष्ठापन शुल्क एवं सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

(ख)(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य को उनके पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिष्ठापित दोनों टेलीफोनों को मिलाकर अधिकतम निःशुल्क कॉलों की सीमा 1,00,000 (एक लाख) स्थानीय कॉल तक नियत होगी:

परन्तु, किसी वित्तीय वर्ष में यदि नियत कॉल सीमा से कम कॉलों का उपभोग किया जाता है तो शेष कॉल अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत कर के

समायोजित किया जायेगा एवं अगले वित्तीय वर्ष की कॉल सीमा तदनुसार संशोधित हो जायेगी:

परन्तु, और कि सदस्य उसी वित्तीय वर्ष सीमा के अधीन रहते हुए, मोबाइल/इंटरनेट का उपयोग एवं रिचार्ज कूपन की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में सदस्य के पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिष्ठापित दोनों टेलीफोनों को मिलाकर नियत स्थानीय कॉल सीमा की राशि से अधिक राशि का भुगतान, यदि आवश्यक हो, यथास्थिति, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् द्वारा मात्र पटना स्थित आवास पर बिहार विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा स्थापित टेलीफोन के मामले में, की जा सकेगी किन्तु इस राशि की कटौती संबंधित सदस्य के वेतन एवं भत्ते से की जायेगी।

(ग) सदस्यों को अनुमान्य दूरभाष की सुविधायें उनकी सदस्यता समाप्त होने पर स्वतः समाप्त मानी जायगी।

15. **सदस्यों को विद्युत एवं जल विपत्र के भुगतान की सुविधा। –** प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 2000 यूनीट तक के विद्युत विपत्र का भुगतान, यथास्थिाति, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् सचिवालय के द्वारा मात्र पटना निवास के लिये किया जायेगा। उक्त सीमा से अधिक विद्युत की खपत होने पर उसका भुगतान सदस्यों को स्वयं करना होगा किन्तु जलापूर्ति के लिए कोई कर उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

16. **उपस्कर की सुविधा। –** प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद, विधान मंडल के सदस्य को स्थान ग्रहण करने के बाद रू0 25000/– उपस्कर के लिए, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा भुगतेय होगा। यह सुविधा उन्हें पूरे कार्यकाल में एक बार ही अनुमान्य होगी।

17. **पूर्व सदस्यों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं। –**

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो बिहार विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने या बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने की तिथि से या उनका कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, 6000/– रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन पाने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वर्ष की समाप्ति होने पर 500/– की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा:

परन्तु, छह माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि की गणना पूरे वर्ष के रूप में की जायेगी:

परन्तु, यह भी कि तेरहवीं बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि/उक्त विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व–सदस्यों की भांति पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि की सुविधाएं अनुमान्य होंगी।

(2) जहां उप नियम (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति :–

(i) राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित, या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्ति हो जाये; या

(ii) संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् का सदस्य हो जाय; या

(iii) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित हो जाय अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाय,

वहॉ ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के लिए उप नियम (1) के अधीन किसी पेंशन का हकदार नहीं होगा जिस अवधि के दौरान वह वैसा पद धारण करता रहा हो या वैसे सदस्य के रूप में बना रहा हो या इस प्रकार नियोजित रहा हो या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहा होः

परन्तु, जहां ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने पर ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या जहां ऐसे व्यक्ति को खण्ड (iii) निर्दिष्ट देय पारिश्रमिक, उप नियम (1) के अधीन उसे देय पेंशन से कम हो, वहां ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पेंशन के रूप में सिर्फ शेष रकम ही प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) **पारिवारिक पेंशन की सुविधा। –** ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/ पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन नीचे अंकित दर पर दिया जायेगा।

''पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन भुगतेय होगा''ः

परन्तु, उप नियम (1) का उपबंध एवं शर्त मृत व्यक्ति की पत्नी/पति पर भी लागू होंगेः

परन्तु, और कि यदि पारिवारिक पेंशन पानेवाला व्यक्ति अगर शादी कर ले तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी नहीं रह जायेगा।

(4) **रेलवे कूपन की सुविधा। –** ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, अपने एक सहयात्री के साथ प्रथम ए0सी0/ द्वितीय ए0सी0/तृतीय ए0सी0 में प्रत्येक वर्ष 75000/– रुपये मूल्य के रेल कूपन पर यात्रा करने का हकदार होगा।

(5) **चिकित्सा सुविधा। –** उप नियम (1) के अधीन पेंशन पानेवाले भूतपूर्व विधायक को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या, दवा की आपूर्ति तथा अस्पताल में भर्ती होने की सुविधायें उस पैमाने एवं शर्त पर प्रदान की

जायेगी जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर नियमों द्वारा विहित की जाय।

18. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय–समय पर उसमें संशोधन का अधिकार होगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति। –**

(i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेगी :–

(1) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों के वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1961.

(2) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों की दूरभाष सुविधायें) नियमावली, 1976.

(3) बिहार विधान मण्डल सदस्यों के सहयोगी (रेलवे कूपन एवं रोड पास) नियमावली, 1976.

(4) बिहार संसदीय सचिव (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1978.

(5) बिहार संसदीय सचिव (मोटर कार अग्रिम) नियमावली, 1961.

(6) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों को मोटर गाड़ी हेतु अग्रिम) नियमावली, 1993.

(ii) ऐसे निरसन होते हुए भी, उपर्युक्त उक्त नियम (1) उल्लेखित नियमावलियों के अधीन इस नियमावली के आरम्भ के पूर्व की गई किसी कार्रवाई या किये गये कुछ भी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भोगेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या–सं0का01/वि0मं0(सदस्यों)4023/2006–930/दिनांक–23 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि– महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या–सं0का01/वि0मं0(सदस्यों)4023/2006–930/दिनांक–23 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1. अधिसूचना की 1000 (हजार) मुद्रित प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के उप सचिव।